न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 100/2019

1. गिरधारी पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी ढाणी झीड़ा ग्राम नई कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2. बोदूराम पुत्र धोकल जाति गुर्जर निवासी ढाणी झीड़ा ग्राम नई कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3. जयमल पुत्र धोकल जाति गुर्जर निवासी ढाणी झीड़ा ग्राम नई कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

—— आवेदक

बनाम

1. इन्द्राज सिहं उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2. रामकिशन दतक पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी झीड़ा ग्राम नई कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3. मुनेश देवी पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ढाणी झीड़ा ग्राम नई कोठी तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बबाई जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

—— अनावेदक

उपस्थितः–

1. श्री अजय कुमार – अभिभाषक – आवेदकगण की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 व 5 की ओर से।
3. श्री सुभाषचन्द्र – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 व 3 की ओर से।

— — —

आवेदन पत्र बाबत करवाने मुन्तिकिल उनवानी रामकिशन बनाम गिरधारी वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 209/18

— — —

आदेश

दिनांक 22.08.2019

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 209/18 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में गत तारीख पेशी दिनांक 12.06.2019 नियत थी उक्त प्रकरण में अनावेदक नम्बर 1 व 2 की खातेदारी के खेत के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तहसीलदार की रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते को जानबुझकर नहीं दिखाया जिसके कारण आवेदकगण ने अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की थी। अदालत मातहत ने जानबुझकर आपत्ति को नहीं माना तथा अनावेदक नम्बर 1 ने खुले न्यायालय में आवेदकगण को कहा कि उनको रास्ता देना ही पड़ेगा तथा यह भी कहा कि बैठकर राजीनामा करलो रास्ता दे दो वरना आपके विरूद्ध इस प्रकरण में फैसला किया जायेगा उपरोक्त प्रकार से पीठासीन अधिकारी इन्द्राज सिहं द्वारा खुले न्यायालय में इस प्रकार से आवेदकगण को धमकी दी इस कारण उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है इस कारण उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय से नियमित विचारण हेतु अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजूदा

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय से नियमित विचारण हेतु अन्य समक्ष न्यायालय में अन्तरित किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर को निराधार बताते हुये प्रकरण रामकिशन आदि बनाम गिरधारी आदि मु.न. 209/2018 अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अपनी कोई आपति नही होना अंकित किया है। अप्रार्थीगण की ओर से वकील न्यायालय में उपस्थित आयें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है। आवेदकगण को अदालत मातहत से न्याय की आशा नहीं है। अतः पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा रहा है। आवेदकगण प्रकरण की सुनवाई में देरी कराना चाहते है। आवेदकगण के प्रार्थना पत्र में कोई फार्स नहीं है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में वकील अनावेदक के कथनों का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मंनगढत तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा 209/2018 उनवानी रामकिशन बनाम गिरधारी वगैरह उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में स्थानानतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी मुकदमा 209/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में दिनांक 18.09.2019 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू